

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:अठ्ठारह-आशु0 (वरिष्ठता)-2023

दिनांक:लखनऊ: 01/09/2023

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(30)- 2023 दिनांक 22.08.2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 44 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। विभागीय चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये 44 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक:31.07.2023 तक उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष 20 पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को दिनांक 28.08.2023 को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है। माह अगस्त-2023 में पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के 04 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की 04 रिक्तियां विद्यमान है, जिसके सापेक्ष अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक-21, 22, 23 व 24 पर अंकित कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	ज्ये० क्र०	पी०एन०ओ०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25	082380003	मो० हबीब सिद्दीकी	मो० सईद सिद्दीकी	01-01-1981	बलिया	2023
2	26	082440028	मुहम्मद जाकिर हुसैन	मु० इलाही	14-07-1981	महोबा	2023
3	27	082070016	श्री शाहिद हुसैन	नसीम अहमद	15-08-1981	पीलीभीत	2023
4	28	082230018	श्री सुनील कुमार यादव	श्री लाल जी यादव	20-06-1985	अलीगढ़	2023

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

- यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- निदेशानुसार आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, तथ्यपेना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली/प्रयागराज/वाराणसी, जोन।
3. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़/चित्रकूट धाम/बरेली/मुरादाबाद, परिक्षेत्र।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया/महोबा/पीलीभीत/अलीगढ़।

स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान-
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।